बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक– 614   का0अ0वि0प्रा0–2024–25   दिनॉक– 1-10-24

विज्ञप्ति

बरेली विकास प्राधिकरण के राजस्व संवर्ग में सेवानिवृत्त लेखपाल/राजस्व निरीक्षक, प्रशासनिक संवर्ग में सेवानिवृत्त लिपिक/व्यक्तिक सहायक, लेखा संवर्ग में सेवानिवृत्त लेखाकार एवं अभियन्त्रण संवर्ग में सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता (विद्युत) के रूप में बरेली विकास प्राधिकरण में 01 वर्ष की अवधि हेतु नियत मानदेय पर सेवा में रखे जाने हेतु कार्मिकों की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 65 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों से दिनॉक–03–10–2024 से दिनॉक–21–10–2024 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र एवं सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.bdainfo.org पर देखी जा सकती है।

प्रभारी अधिष्ठान

आफलाइन आवेदन कार्यालय में प्राप्त कराये जा सकते हैं।

आनलाइन आवेदन ईमेल bdabareillyeng@gmail.com पर भजे जा सकते हैं।

मानदेय के आधार पर रखे जाने वाले कार्मिकों की सामान्य सेवा शर्तें एवं नियुक्ति प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :–

1. सेवानिवृत्त कार्मिक सेवानिवृत्त से पूर्व प्राधिकरण या विहित राजकीय विभाग में समकक्ष पद पर कार्यरत हो।
2. सेवानिवृत्त कार्मिक की यथासम्भव उम्र 65 वर्ष से अधिक न हो।
3. कार्मिक को पूर्णतः स्वस्थ्य होना चाहिए एवं उसे चिकित्सक द्वारा निर्गत फिटनेस चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. नियुक्ति हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेगें।
5. इस प्रकार की रीति से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों की सेवायें पूर्णतया अस्थायी होंगी।
6. सेवानिवृत्त कर्मचारी के अपने पूरे सेवाकाल में किसी प्रकार का कोई दण्ड न प्राप्त हुआ हो।
7. मानदेय पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को निर्धारित मानदेय धनराशि शासनादेश संख्या–सा–3–1443/दस–930/83 दिनांक 15–12–1983 एवं संशोधित प्राविधानों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–सा–3–2211/दस–930–83 दिनांक 25 नवम्बर, 1988 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आगणित की गई धनराशि की सीमा के अन्तर्गत होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि/भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय का भुगतान आयकर अधिनियम–1961 के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।
8. इस प्रकार मानदेय पर तैनात कार्मिकों की तैनाती एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये) की जायेगी, जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत सक्षम स्वीकृति उपरान्त आगे बढ़ाया जा सकेगा। उपाध्यक्ष कार्मिक की सेवायें बिना किसी नोटिस के किसी भी समय समाप्त कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
9. आवेदकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से उपाध्यक्ष/उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
10. चयनित तकनीकी कार्मिक उपाध्यक्ष द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का सम्पादन करेंगे।
11. चयनित कार्मिकों को योगदान के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ प्राधिकरण के हित में कार्य करेंगे। यदि उनका कोई कार्य प्राधिकरण हित के विपरीत पाया जाये तो प्राधिकरण उनकी सेवायें किसी समय समाप्त कर सकता है तथा प्राधिकरण उनके विरूद्ध सिविल/आपराधिक कार्यवाही करने के लिये भी स्वतंत्र होगा। चयनित तकनीकी कार्मिक मानेदय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन भत्ते आदि की मांग नहीं करेगा और न ही प्राधिकरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा किसी न्यायालय में करेगा। चयनित कार्मिक की सेवाओं के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा और कार्मिक को हर हाल में स्वीकार होगा।
12. लेखाकार प्राधिकरण/राजकीय विभाग से सेवानिवृत्त होना चाहिए।
13. अवर अभियन्ता (विद्युत) प्राधिकरण या किसी राजकीय विभाग से विद्युत/यान्त्रिक संवर्ग से सेवानिवृत्त होना चाहिए।
14. सेवानिवृत्त लिपिक/वैयक्तिक सहायक प्राधिकरण/ क्लैक्ट्रेट अधिष्ठान से सेवानिवृत्त होना चाहिए।
15. राजस्व निरीक्षक/लेखपाल राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त होना चाहिए।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1– आवेदित पद का नामः ....

2– आवेदक का नामः ....

3– पिता/पति का नामः ....

4– जन्मतिथिः ....

5– 01.01.24 को आयुः .... वर्ष............................ माह..............................दिन

6– सेवानिवृत्त का पद . ...

7– सेवानिवृत्त का विभाग ....

8– आरक्षित श्रेणी : ....

9– पत्राचार का पताः ....

....

10– स्थाई पताः ....

....

11– शैक्षिक योग्यता ....

12–मो0न0/ई मेल आई0डी0 ....

13– अधिवर्षता पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त होने एवं पी0पी0ओ0 की छायाप्रति संलग्न करे।

घोषणाः–

मै घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाये, बिन्दु सं0–1 से 13 तक तथा संलग्न सभी सूचनाये सत्य है मुझे कभी भी विभाग से दण्डित नही किया गया है तथा मेरे द्वारा कोई भी सूचना छिपायी नहीं गयी है, यदि भविष्य में कभी यह पाया जाये कि मेरे द्वारा कोई मिथ्य सूचना/अभिलेख प्रस्तुत किया गया है/की गयी है, तो मेरी नियुक्ति बिना कोई कारण बताये निरस्त करते हुये मेरे विरूद्व वैधनिक कार्यवाही की जायेगी, तो मुझे मान्य होगी।

संलग्नकों का विवरणः–

नाम एवं पता